पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

Circular

Circular No: PFRDA/2024/15/SUP-CRA/08 Date: 28 Aug 2024

To
All stakeholders under NPS

Subject: Introduction of NPS Contributions through Bharat Bill Payment System (BBPS)

1. The Bharat Bill Payment System (BBPS), conceptualized by the Reserve Bank of India (RBI) and driven by the National Payments Corporation of India (NPCI), offers a unified, accessible, and interoperable platform for recurring payments. BBPS simplifies digital payments, ensuring ease of use for consumers.

2. BBPS enhances the visibility and accessibility of services / billers across various platforms, including BHIM, UMANG, Mobile Apps of Banks and major UPI-enabled payment apps like PhonePe, GooglePay etc.

3. To facilitate easier contributions, a new additional channel for the National Pension System (NPS) contributions are now being introduced on BBPS. Subscribers can make contributions using multiple payment applications such as BHIM, PhonePe etc.

4. **Charges:** The following charges will apply for making NPS contributions through BBPS.

Activity	Amount (Rs)*
Transaction (Lumpsum)	Rs. 0.50 per transaction
Transaction (SIP)	Rs. 0.50 per transaction
Registration of SIP Mandate	Rs. 4.00 (One time)

**plus GST as applicable*

Similar to eNPS and D-Remit, trail commissions to Points of Presence (POPs) will be applicable for contributions made through BBPS for subscribers associated with POPs under the All Citizen Model. BBPS and POP charges (trail Commission), as applicable, will be displayed and collected upfront during the payment process. The charges are to be borne by the subscribers upfront while making contributions.

5. Initially, BBPS will support lumpsum contributions, which will be settled on a T+1 basis where 'T' is the date of making contributions by the subscribers. Any unsettled contributions (failed transactions due to any reason) will be refunded to the subscribers within 5 working days. The option for SIP mandate registration to enable systematic contributions through BBPS will be introduced in due-course.

Yours sincerely,

(Akhilesh Kumar)
Chief General Manager

ई–500, टॉवर–ई, पांचवां तल, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, नई दिल्ली–110029
दूरभाष: 91–11–40717900, वेबसाइट: www.pfrda.org.in
E-500, Tower-E, Fifth Floor, World Trade Center, Nauroji Nagar, New Delhi-110029
Phone: 91-11-40717900, Website: www.pfrda.org.in

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

परिपत्र

परिपत्र संख्या : पीएफआरडीए/2024/15/एसयूपी-सीआरए/08 दिनांक: 28 अगस्त 2024

प्रति

एनपीएस के तहत सभी हितधारक,

विषय : भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) के माध्यम से एनपीएस में अंशदान जमा करने की शुरूआत

1. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा संकल्पित और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) द्वारा संचालित, भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस), आवर्ती भुगतानों के लिए एक एकीकृत, सुलभ और अंतर्संचालित प्लेटफॉर्म प्रदान करती है। बीबीपीएस, उपभोक्ताओं के 'ईज ऑफ़ यूज' को सुनिश्चित करते हुए, डिजिटल भुगतान को सरल बनाती है ।

2. बीबीपीएस विभिन्न प्लेटफार्मों, जैसे भीम, उमंग, बैंकों के मोबाइल ऐप और प्रमुख यूपीआई-सक्षम भुगतान ऐप फोनपे, गूगलपे आदि पर सेवाओं/बिलर्स (विज्ञापकों) की दृश्यता और उनकी पहुंच को बढ़ाता है ।

3. आसानी से अंशदान जमा करने की सुविधा के क्रम में, बीबीपीएस पर अब राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में अंशदान जमा करने हेतु एक नया अतिरिक्त चैनल प्रस्तुत किया जा रहा है। अभिदाता अनेक भुगतान एप्लिकेशन जैसे भीम, फोनपे आदि का उपयोग करके अंशदान जमा कर सकते हैं।

4. **शुल्क :** बीबीपीएस के माध्यम से एनपीएस में अंशदान जमा करने पर निम्नलिखित शुल्क लागू होंगे

गतिविधि	**राशि (रु)***
ट्रांज़ैक्शन (एकमुश्त)	रु. 0.50 प्रति ट्रांज़ैक्शन
ट्रांज़ैक्शन (एसआईपी)	रु. 0.50 प्रति ट्रांज़ैक्शन
एसआईपी का रजिस्ट्रेशन	रु. 4.00 (एक बार)

**इसके अतिरिक्त जीएसटी लागू*

ई-एनपीएस और डी-रेमिट की तरह, ऑल सिटीजन (सर्व नागरिक) मॉडल के तहत पीओपी से जुड़े अभिदाताओं द्वारा बीबीपीएस के माध्यम अंशदान जमा करने पर उपस्थिति अस्तित्व (पीओपी) के लिए ट्रेल कमीशन लागू होगा। भुगतान प्रक्रिया के दौरान, बीबीपीएस और पीओपी शुल्क (ट्रेल कमीशन), जैसा लागू हो, अग्रिम रूप से प्रदर्शित और एकत्रित किया जाएगा। अंशदान जमा करते समय शुल्क का वहन अभिदाताओं द्वारा अग्रिम रूप से किया जाएगा।

5. प्रारंभ में, बीबीपीएस एकमुश्त अंशदान का समर्थन करेगा, जिसे टी + 1 आधार पर निपटाया जाएगा, जहां 'टी' अभिदाताओं द्वारा अंशदान जमा करने की तिथि है। किसी भी बिना निपटाए हुए अंशदान (जो किसी भी कारण से विफल लेनदेन वाला हो) को 5 कार्य दिवसों के भीतर अभिदाताओं को वापस कर दिया जाएगा। बीबीपीएस के माध्यम से व्यवस्थित अंशदान जमा करने की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए एसआईपी पंजीकरण का विकल्प भी भविष्य में पेश किया जाएगा।

भवदीय,

(अखिलेश कुमार)
मुख्य महाप्रबंधक